रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 211] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 1998/ज्येष्ठ 14, 1920
No. 211] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 1998/JYAISTHA 14, 1920

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 1998

सा.का.नि. 334(अ).— केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित ध 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में न मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन करती है ।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

अनुसूची

नव मंगलूर पत्तन न्यास

नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1998

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव मंगलूर पत्तन न्यास का न्या मंडल, नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 1980 में फिर संशोधन करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है

2. (i) इन विनियमों को नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1998 कहा जाएगा ।

(ii) ये विनियम, भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

3. नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम के विनियम 10 में, निम्नलिखित उप-विनियम (5) रूप में शामिल किया जाएगा ।

"(5) परिवीक्षा काल के अंत में कोई भी कर्मचारी की पुष्टि यदि नहीं की जाती अथवा उप-विनियम (1) या उप-विनियम (2) अनुसार सेवा मुक्त या पदावनति, जैसी स्थिति हो, की बात आती है तो ऐसे प्रस्तावों के तथ्यों पर विचार करना चाहिए और सक्षम प्राधिक द्वारा आदेश जारी करने के पहले की जानी योग्य कार्रवाई के खिलाफ कारण बताने का मौका दिया जाना चाहिए और अंतिम आदेश करने के पूर्व उसके स्पष्टीकरण पर समुचित विचार करना चाहिए ।"

[फा. सं. एच.-11011/1/97-पी.ई.

के.वी. राव, संयुक्त स

पाद टिप्पणी :— मूल विनियम दिनांक 27-3-80 सा.का.नि. सं. 156(अ) में प्रकाशित हुए हैं और बाद के संशोधन इस प्रकार है :—

1. सा.का.नि. सं. 1041(अ) दिनांक 5-12-1989
2. सा.का.नि. सं. 940(अ) दिनांक 7-12-1990
3. सा.का.नि. सं. 92(अ) दिनांक 27-2-1991
4. सा.का.नि. सं. 658(अ) दिनांक 31-10-1991
5. सा.का.नि. सं. 530(अ) दिनांक 3-8-1993
6. सा.का.नि. सं. 23(अ) दिनांक 15-1-1993
7. सा.का.नि. सं. 34(अ) दिनांक 27-1-1994
8. सा.का.नि. सं. 45(अ) दिनांक 12-5-1994
9. सा.का.नि. सं. 257(अ) दिनांक 27-6-1996
10. सा.का.नि. सं. 259(अ) दिनांक 27-6-1996

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 1998

G.S.R. 334(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Amendment Regulations, 1998 made by the Board of Trustees for the Port of New Mangalore and set out in the schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

NEW MANGALORE PORT TRUST

NEW MANGALORE PORT EMPLOYEES (RECRUITMENT, SENIORITY & PROMOTIONS) AMENDMENT REGULATION, 1998

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the New Mangalore Port Trust hereby makes the following Regulations further to amend the New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment Seniority & Promotions) Regulation, 1980, ibid.

2. (i) These Regulations may be called The New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulation, 1998.

(ii) They shall come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette of India.

3. In Regulation 10 of the New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment Seniority and Promotion) Amendment Regulation the following shall be added as sub-Regulation (5).

"(5) An employee who is not considered suitable for confirmation at the end of the probation and considered for discharge of revertion in accordance with sub-Regulation (1) or Sub-Regulation (2) as the case may be, shall be appraised of the grounds of such proposal shall and given an opportunity to show cause against such action before the orders are passed by the competent authority and his/her explanation is given due consideration before passing final orders."

[F.No. H-11011/1/97—PE-I]

K.V. RAO, Jt. Secy.

Foot Note :— Principal Regulations were published with GSR No. 156(E) dt. 27-3-1980 and subsequently amended vide :—

(i) GSR No. 1041(E) dt. 5-12-1989
(ii) GSR No. 940(E) dt. 7-12-1990
(iii) GSR No. 92(E) dt. 27-2-1991
(iv) GSR No. 658(E) dt. 31-10-1991
(v) GSR No. 530(E) dt. 3-8-1993
(vi) GSR No. 23(E) dt. 15-1-1993
(vii) GSR No. 34(E) dt. 27-1-1994
(viii) GSR No. 45(E) dt. 12-5-1994
(ix) GSR No. 257(E) dt. 27-6-1996
(x) GSR No. 259(E) dt. 27-6-1996

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998